

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा II), उ. प्र.
ऑडिट भवन, टी सी वी 35-1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010

संख्या म. ले. (लेखा परीक्षा -II) /पी सी-1/ का.आ./

दिनांक /06/2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या सं. प्र. म. ले. (ले प -II)/प्रशा./विविध /फा.सं.-100/22 दिनांक 01.07.2021 एवं कार्यालय आदेश संख्या सं. प्र. म. ले. (ले प -II)/प्रशा./विविध /फा.सं.-100/खंड -III/203 दिनांक 20/12/2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को रुपये 5000/- या उससे अधिक राशि के एकल वाउचर का भुगतान अनिवार्य रूप से डिजिटल माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा कतिपय यात्रा भत्ता देयक में केश से भुगतान किये गए जो कि उक्त कार्यालय आदेश का उल्लंघन है। ऐसे सभी देयकों को सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त एकल प्रकरण मानते हुए भुगतान किया गया है। ऐसे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आदेशों के समुचित अनुपालन के लिए सचेत किया जाता है।

पुनः इस कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय आदेश दिनांक 20.12.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त दिनांकित कार्यालय आदेश के किन्हीं प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में किसी भी देयक का भुगतान भविष्य में नहीं किया जाएगा जिसके लिए सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

संख्या म. ले. (लेखा परीक्षा -II) /पी सी-1/ का.आ./96

दिनांक 21/6/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

10. वरिष्ठ उप महालेखाकार/ए.एम जी -I, IV एवं प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (ले प -II) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वरिष्ठ उप महालेखाकार / ए एम जी -III एवं उप महालेखाकार /ए. एम जी -II, कार्यालय महालेखाकार (ले प -II) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ।
13. व.ले.प.अ./एस एफ ए आर, व.ले.प.अ./रिपोर्ट।
14. व ले प अ /AMG-I/AMG-II/AMG-III/AMG-IV प्रोग्राम।
15. व ले प अ /सामान्य प्रशासन/पी सी /आई टी सेल /रिपोर्ट /आई टी ए।
16. व ले प अ / प्रशासन, शाखा कार्यालय प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को शाखा कार्यालय में परिचालित करें।
17. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी /आई टी सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
18. सूचना पट्ट।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (पी सी)

IT cell
orady-25
दि. 22.06.22